



UNSC आतंकवाद नरोधक समिति की बैठक

प्रलिस के ललल:

संयुक्त राष्ट्र, FATF, मुंबई हमला, कुरपिटो करंसी, UNODC ।

मेन्स के ललल:

आतंकवाद जैसे चुनौतियों का मुकाबला करने के ललल पहल ।

चरचा में क्यों?

हाल ही में भारत ने वर्तमान आतंकवाद में कुरपिटो- करंसी और डरोन के उपयोग के माध्यम से आतंक-वतितपोषण पर चरचा करने के लललसंयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद नरोधक समिति (CTC) की एक वशिष बैठक की मेज़बानी की ।

- वर्ष 2001 में यूएनएससी-सीटीसी की स्थापना के बाद से भारत में इस तरह की यह पहली बैठक होगी । संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि (चुचुरा कंबोज) वर्ष 2022 के लललल सीटीसी की अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं ।
- थीम: आतंकवादी उद्देश्यों के ललल नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करना ।

UNSC-CTC:

- यह सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 द्वारा स्थापित किया गया था जैसे अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमलों के मद्देनज़र 28 सितंबर, 2001 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था ।
- समिति में सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य शामिल हैं ।
 - पाँच स्थायी सदस्य: चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दस गैर-स्थायी सदस्य महासभा द्वारा दो साल के कार्यकाल के ललल चुने जाते हैं ।
- इस समिति को संकल्प 1373 के कार्यान्वयन की नगिरानी का काम सौंपा गया था, जिसमें देशों से घरेलू और दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के ललल अपनी कानूनी एवं संस्थागत क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कई उपायों को लागू करने का अनुरोध किया गया था ।
- इसमें आतंकवाद के वतितपोषण का अपराधीकरण करना, आतंकवाद के कृत्यों में शामिल व्यक्तियों से संबंधित किसी भी धन को जमा करना, आतंकवादी समूहों के ललल सभी प्रकार की वतित्तीय सहायता से इनकार करना, आतंकवादियों के ललल सुरक्षित आश्रय, जीविका या समर्थन के प्रावधान को रोकना तथा आतंकवादी कृत्यों का अभ्यास या योजना बनाने वाले किसी भी समूह पर अन्य सरकारों के साथ जानकारी साझा करने से रोकना जैसे आवश्यक कदम शामिल हैं ।

बैठक की मुख्य बातें

- भारत ने CTC पर वचिार के ललल पाँच बढि सूचीबद्ध कलल:
 - आतंक-वतितपोषण का मुकाबला करने के ललल प्रभावी और नरितर प्रयास ।
 - संयुक्त राष्ट्र के सामान्य प्रयासों को वतित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) जैसे अन्य मंचों के साथ समन्वयित करने की आवश्यकता है ।
 - यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा परिषद की प्रतबिंध व्यवस्था राजनीतिक कारणों से अप्रभावी न हो ।
 - अंतरराष्ट्रीय सहयोग और आतंकवादियों तथा उनके प्रायोजकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई, जिसमें आतंकवादी सुरक्षित पनाहगाहों को खत्म करना अनविर्यताएँ शामिल हैं ।
 - इन संबंधों को पहचानें और हथियारों एवं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी जैसे एक अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के साथ आतंकवाद की सांठगाँठ को तोड़ने के ललल बहुपक्षीय प्रयासों को मज़बूत करना ।

भारत के सामने उभरती चुनौतियाँ:

- आतंक फैलाने के लिये उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग दुनिया भर में बढ़ती चिंता का विषय है।
- जबकि 26/11 हमले के आतंकवादियों में से एक के ऊपर भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया तथा दोषी ठहराया गया 26/11 हमलों के प्रमुख षड्यंत्रकारियों और योजनाकारों को अभी भी दंडित नहीं किया गया है।
- चीन द्वारा कई मौकों पर पाकस्तान स्थिति आतंकवादियों के खिलाफ UNSC प्रतर्बिधों पर रोक लगाने से सुरक्षा परिषद कुछ मामलों में कार्रवाई करने के लिये कमजोर हो जाती है।
- इन वर्षों में आतंकवादी समूह अपने वित्तपोषण पोर्टफोलियो में विविधता लाए हैं। उन्होंने धन जुटाने और वित्त के लिये आभासी मुद्राओं जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकियों की गुमनामी का फायदा उठाना शुरू कर दिया है।
- मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का मुकाबला करने में ढीली व्यवस्था के लिये पाकस्तान को जून 2018 में एफएटीएफ की तथाकथित ग्रे सूची में डाल दिया गया था। FATF ने अक्टूबर 2022 में प्लेनरी में चार साल से अधिक समय के बाद पाकस्तान को हटा दिया था।
 - पछिले साल से पाकस्तान को समूह से बाहर करने पर चर्चा कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों की प्रवृत्ति के साथ हुई।

आतंकवाद

परिचय:

- कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है, आबादी को डराता है या किसी सरकार या अंतरराष्ट्रीय संगठन को किसी भी कार्य को करने या उससे दूर रहने के लिये मजबूर करता है, जिसके कारण है:
 - किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट
 - सार्वजनिक या नज्दी संपत्ति को गंभीर नुकसान, जिसमें सार्वजनिक उपयोग का स्थान, एक राज्य या सरकारी सुविधा, एक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, एक बुनियादी ढाँचा सुविधा या पर्यावरण शामिल है;
 - संपत्ति, स्थानों, सुविधाओं या प्रणालियों को नुकसान जिसके परिणामस्वरूप बड़ा आर्थिक नुकसान होने की संभावना हो।

आतंकवाद से निपटने के लिये भारत की पहल:

- आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिये कई कदम उठाए गए।
- तटीय सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई और यह नौसेना/तट रक्षक/समुद्री पुलिस के पास है।
- आतंकवादी अपराधों से निपटने के लिये राष्ट्रीय जाँच एजेंसी की स्थापना की गई थी जो जनवरी 2009 से काम कर रही है।
- राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID) का गठन सुरक्षा संबंधी सूचनाओं का एक उपयुक्त डेटाबेस बनाने के लिये किया गया है।
- आतंकी हमलों का तेज़ी से जवाब सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिये चार नए ऑपरेशनल हब बनाए गए हैं।
- इंटेल्जिंस ब्यूरो के तहत काम करने वाले मल्टी एजेंसी सेंटर को और मज़बूत किया गया एवं इसकी गतिविधियों का विस्तार किया गया।
- नौसेना ने भारत के विस्तारित समुद्र तट पर नगिरानी रखने के लिये संयुक्त अभियान केंद्र का गठन किया।

वैश्विक प्रयास:

- आतंकवाद वरिधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNOCT) आतंकवाद और हसिक उग्रवाद को रोकने एवं उसका मुकाबला करने के लिये संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण का नेतृत्व तथा समन्वय करता है।
 - UNOCT के तहत UN आतंकवाद नरिधक केंद्र(UNCCT), आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और वैश्विक आतंकवाद वरिधी रणनीति को लागू करने में सदस्य राज्यों का समर्थन करता है।
- डरगस एंड कराइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) की आतंकवाद रोकथाम शाखा (TPB) अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
 - यह अनुरोध पर सदस्य राज्यों की सहायता के लिये अनुसमर्थन, विधायी समावेश और आतंकवाद के खिलाफ सार्वभौमिक कानूनी ढाँचे के कार्यान्वयन के साथ काम करता है।
- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) जो एक वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण नगिरानी संस्था है, अंतरराष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करती है जिसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों एवं समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है।

आगे की राह

- आतंकवाद का मुकाबला करने का एक अनविरय पहलू आतंकवाद के वित्तपोषण को प्रभावी ढंग से रोकना है।
- आतंकवादी समूहों को सूचीबद्ध करने के लिये उद्देश्य और साक्ष्य-आधारित प्रस्तावों, विशेष रूप से उन लोगों को जो वित्तीय संसाधनों तक उनकी पहुँच पर अंकुश लगाते हैं
- अंतरराष्ट्रीय समुदाय को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर आतंकवाद की चुनौती को हराना चाहिये।
- सीमा की रक्षा के पारंपरिक तरीकों को बढ़ाने और पूरक करने के लिये तकनीकी समाधान आवश्यक हैं। वे न केवल सीमा की रक्षा करने वाले बलों की नगिरानी और पहचान क्षमताओं को बढ़ाते हैं, बल्कि घुसपैठ और सीमा पार अपराधों के खिलाफ सीमा की रक्षा करने वाले कर्मियों के प्रभाव में भी सुधार करते हैं।
- भारत को सीमा पार आतंकवाद से लड़ने के लिये सेना की विशेषज्ञता की दृष्टि में आगे बढ़ना चाहिये।
 - सेना को प्रेसिजन इंगेजमेंट कैपेबिलिटी जैसे तंत्र के माध्यम से LOC और LLC के पार आतंकी शक्ति पर हमला करने के वैकल्पिक तरीकों पर भी विचार करना चाहिये।
- ठीक से प्रशिक्षित जनशक्ति और कफायती व परीक्षण की गई प्रौद्योगिकी के विकल्प मशिरण से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है।
- आतंकवाद के खिलाफ युद्ध एक कम तीव्रता वाला संघर्ष या स्थानीय युद्ध है और इसे समाज के पूरक व नरिबाध समर्थन के बिना नहीं छेड़ा जा सकता है, यदा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिये समाज का मनोबल और संकल्प लड़खड़ाता है तो इसे आसानी से खो दिया जा सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न: आतंकवाद का संकट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक गंभीर चुनौती है। इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिये आप क्या उपाय सुझाते हैं? आतंकवादी फंडिंग के प्रमुख स्रोत क्या हैं? (मुख्य परीक्षा, 2017)

स्रोत: द हद्दि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/unsc-counter-terrorism-committee-meeting>

